प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Visit Report/2023-24/ 2312 दिनांकः 14 .06.2023

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद कुशीनगर की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम के द्वारा आपके जनपद कुशीनगर की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 22 से 26 मई, 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/2023-24/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–कुशीनगर, उ0प्र0।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन0एच0एम0, जनपद कुशीनगर को इस निर्देश के साथ कि आख्या का अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही की प्रगति–रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 अबु तल्हा)
उपमहाप्रबन्धक, डी.एच.एस.

भ्रमण आख्या– जनपद कुशीनगर, 22–26 मई, 2023

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री आर.बी. क्षेत्रीय – मैनेजर फाइनेंस
2. श्री सौरभ तिवारी – तकनीकि परामर्शदाता
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद कुशीनगर का दिनांक 22 से 26 मई, 2023 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है–

जिला संयुक्त चिकित्सालय – कुशीनगर

डा0 दिलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से भ्रमण दल की हुई वार्ता से ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय में कुल 30 चिकित्सक, 03 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 06 बाल रोग विशेषज्ञ तैनात है। चिकित्सालय के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय मेडिकल कालेज के रुप में परिवर्तित हो गया है।
2. डा0 प्रभा, डा0 स्वाती एवं डा0 नीलकमल स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है किन्तु EmOC प्रशिक्षित मात्र डा0 नीलकमल है। अन्य के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
3. जिला संयुक्त चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नही थी।
4. काण्डोम बाक्स नवीन निर्देश के अनुसार नही बनाये गये थे।
5. लैब में मरीजों का ब्लड निकालते समय ग्लब्स का उपयोग नही किया जा रहा था।
6. मेडिकल पिक इन्जरी के विषय में लैब में उपस्थित कर्मियों को पता नही नही था।
7. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
8. **एनआरसी–**
   a. एनआरसी के गेट पर शू रैक एवं शू कवर उपलब्ध नही था।
   b. स्टाफ द्वारा रिकार्ड को अपडेड नही कियाजा रहा था।
   c. बी0एस0टी0 पर लिखे जाने वाली दवाओं की मात्रा और कब दिया जाना है, इसका विवरण नही दर्ज किया जा रहा था।
   d. डाइट चार्ट को पूर्ण नही किया जा रहा था।
   e. डेली वेट गेन चार्ट को भी पूर्ण नही किया जा रहा था।
   f. स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
   g. मरीजों हेतु कुछ दवायें बाहर से लिखी जा रही थी। जैसे – Ranitidine Oral Solution, Entroqermin
   h. भ्रमण दल को एन.आर.सी एवं एस0एन0सी0यू0 में एक्सपायरी औषधियां प्राप्त हुई। भ्रमण दल द्वारा नियमित चेक करने एवं उक्त से संबंधित अभिलेख अद्यतन करने का सुझाव दिया गया।

9. **पी0एन0सी0 वार्ड–**
   a. पी0एन0सी0 वार्ड की साफ--सफाई संतोष जनक पायी गयी।
   b. वार्ड में प्रसव कराने वाली महिलाओं के पास सरसों के तेल रखे हुये थे।
   c. मरीजों को कुछ दवायें बाहर से लानी पड रही थी।

10. **लेबर रूम–**

a. गेट पर शू रैक एवं शू कवर उपलब्ध नही था।
b. लेबर रूम की साफ–सफाई संतोष जनक पायी गयी।
c. बायो मेडिकल वेस्ट के अनुसार सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
d. केसशीट पूर्ण नही भरी जा रही थी।
e. पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था।
f. आक्सीजन सिलेण्डर की लॉग बुक को पूर्ण नही किया जा रहा था।
g. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।
h. कैलीसपैड उपलब्ध नही था।
i. लेबर टेबल पर फुटस्टेट 2 स्टेप नही था।
j. डिजीटल क्लाक विथ रुम टैम्परेचर लेबर रुम में नही लगायी थी।
k. फैमिली प्लानिंग से सम्बन्धित सामग्री कालातीत पायी गयी।

11. **औषधि वितरण कक्ष–**

a. औषधियों के डिमाण्ड डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था।
b. स्टोर में रखी हुई औषधियों पर लेबलिंग नही की गयी थी। उपलब्ध औषधियां आदि की सूची उपलब्ध नही पायी गयी।

12. वेटिंग एरिया में आडीओ विजुअल आई.ई.सी. हेतु प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।
13. इजेक्शन/इमेंरजेंसी कक्ष में किये जाने वाले स्टेलिजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।
14. टेलीमेडिसिन हेतु इकाई पर दिये गये उपकरणों को कियाशील नही किया गया था।
15. जे0एस0वाई0 के भुगतान अप्रैल से अभी तक नही किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसैया

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधीक्षक एवं वेटिंग एरिया में एल.ई.डी. नही लगे हुये थे।
2. टेलीमेडिसिन हेतु इकाई पर दिये गये उपकरणों को कियाशील नही किया गया था।
3. ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये उपचार एवं औषधियों के विवरण पढनीय नही था।
4. बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रिकेशन नही किया जा रहा था। सभी प्रकार के कूडे को एक ही बाक्स में डाला जा रहा था।
5. प्रशिक्षण के रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।
6. डाटा वेलिडेशन की बैठक प्रत्येक माह नही की जा रही थी।
7. इकाई पर लगे हुये फायर एग्जूक्शन पर रिफिलिग दिनांक नही डाला गया था।
8. शिकायत पेटिका में ताला नही लगा था एवं रिकार्ड पूर्ण नही पाया गया।
9. काण्डोम बाक्स नये नियमानुसार तैयार कर नही लगाये गये है।
10. हब कटर का उपयोग सिरिंज के उपयोग के बाद नही किया जा रहा था।
11. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
12. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
13. औषधियों हेतु इन्डेंट हेतु डीवीडीएमएस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा था।
14. औषधि का फिजिकल एवं रिकार्ड से मिलान करने पर अन्तर पाया गया।

15. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नही थी।
16. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
17. लैब के फ्रिज में कालातीत रियेजेंट पाया गया।
18. प्रसव कक्ष के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नही थी एवं स्टाफ के द्वारा कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
19. स्टाफ नर्स को नियर एक्सपायरी औषधियों की जानकारी नही थी।
20. औषधियों एवं इजेंक्शन को मिक्स एवं अव्यवस्थित रुप में रखा गया था।
21. कैलिसपैड उपलब्ध नही थे।
22. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
23. आक्सीजन सिलेण्डर से सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
24. सपोर्टिव सुपर विजन एवं आर.बी.एस.के. की गाडियों के लॉगबुक सही नही भरी जा रही थी।

आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0

1. राज्य स्तर से प्रेषित निर्देश के कम में प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को प्रत्येक कार्य दिवस में 08 घंटें की सेवा प्रदान किया जाना है। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार योजित किया जाना है। खेद का विषय है कि मोबाइल टीमें 08 घंटे की सेवा नही दे रही हैं।

2. प्रत्येक सदस्य द्वारा क्षेत्र भ्रमण के पूर्व मूवमेन्ट रजिस्टर में समय एवं स्थान का अंकन नही किया जाता पाया गया। क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त ब्लाक स्तर पर अपना कार्य प्लानिंग, माईक्रोप्लान, रिपोर्टिंग आदि पूर्ण कर ससमय रिपोर्ट डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।

3. कसिया ब्लाक में दो आर0बी0एस0के0 टीम तैनात पायी गयी। टीम ए में डा0 सवित्री सिंह एवं डा0 संजय सिंह तैनात पाये गये। टीम बी में डा0 पल्लवी सिंह एवं डा0 नसरीन (जो कि भ्रमण दिनांक में अवकाश में थी) तैनात है। टीमों द्वारा अभिलेख नियमानुसार नही भरे जा रहे है। 80 बच्चों की स्कैनिंग की गयी किन्तु रजिस्टर में मात्र 04 बच्चों के नाम, वजन एवं उम्र लिखी पायी गयी। दल द्वारा अभिलेखों को पूर्ण करने का सुझाव दिया गया।

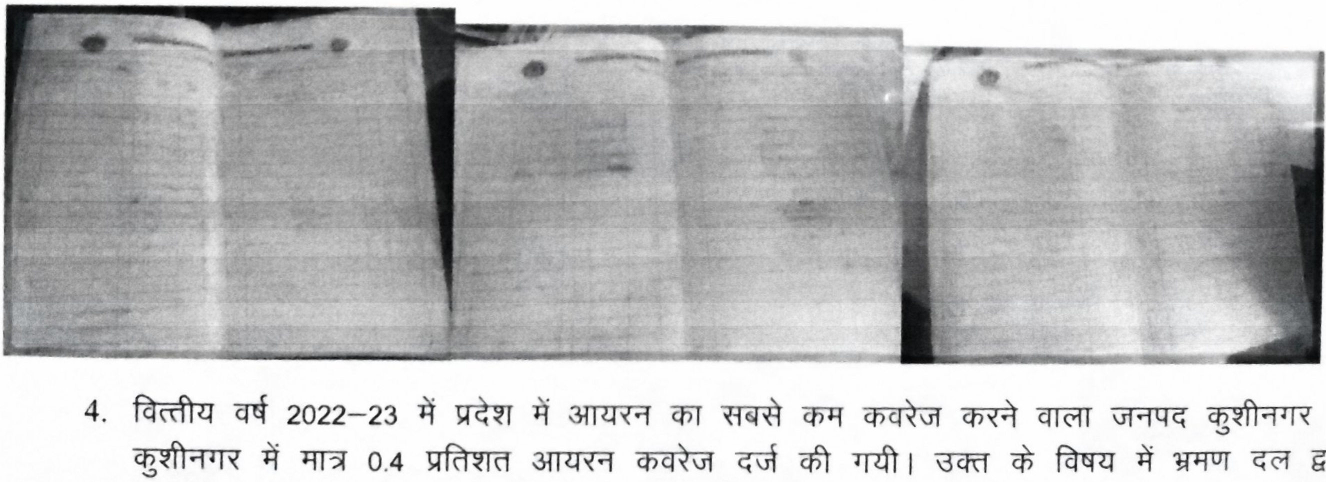

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में आयरन का सबसे कम कवरेज करने वाला जनपद कुशीनगर है। कुशीनगर में मात्र 0.4 प्रतिशत आयरन कवरेज दर्ज की गयी। उक्त के विषय में भ्रमण दल द्वारा चिकित्सालय एवं वी0एच0एन0डी0 में आयरन की संतोषजनक मात्रा भी पायी गयी। कुशीनगर जनपद में आयरन बच्चों को आवंटित की जाती है किन्तु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड नही जा

रही है। उक्त के विषय में भ्रमण दल के निवेदन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जनपद के समस्त एम0ओ0आई0सी0 को रिपोर्टिंग करने के एवं जनपद स्तर से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिये गयें।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उप केन्द्र – धनहा उर्फ मुल्लुडीह

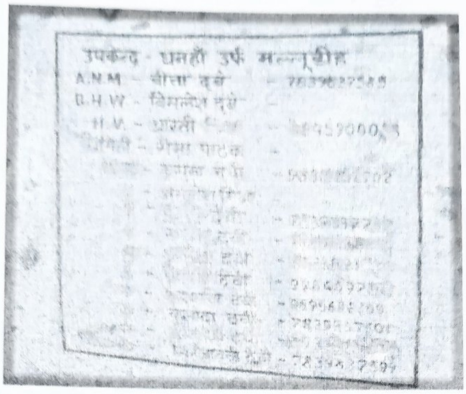

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी की व्यवस्था नही है।
2. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर विद्युत कनेक्शन नही था।
3. सी.एच.ओ. को उपलब्ध कराये गये लैपटाप को घर पर रखा गया था।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर केवल ओ.पी.डी. रजिस्टर बनाया गया था।
5. लैब जॉच रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, रेफरल आउट रजिस्टर आदि नही बनाया गया है।
6. सी.एच.ओ. के किये जा रहे कार्य संतोषजनक नही था।
7. हीमोग्लोबिनों मीटर उपलब्ध नही कराया गया था।
8. इकाई पर एग्जामिनेशन टेबल उपलब्ध नही कराया गया है।
9. ए.एन.सी. जॉच हेतु प्राइवेसी की कोई व्यवस्था नही की गयी है।
10. बी.पी. इस्टूमेंट सी.एच.ओ. के द्वारा स्वयं खरीदा गया है।
11. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के साथ लगे सब सेन्टर के सभी खिडकियां एवं दरवाजे डूटे हुये पाये गये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खडडा

1. इकाई पर किसी भी स्टाफ के द्वारा एपरेन एवं बैच का उपयोग नही किय जा रहा था।
2. फार्मेसी के रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
3. मेडिसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरीफिकेशन नही किया गया था।
4. स्टोर में औषधियों को बिना किसी क्रम और सूची के रखी हुई थी।
5. दैनिक ओ.पी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष है इसका कोई रिकार्ड नही तैयार किया जा रहा था।
6. डेली कंजम्पशन रजिस्टर में औषधियों का नाम अंकित नही किया गया था।
7. फार्मेसी में इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन को सीधे डस्टविंन में डाला जा रहा था, हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।

8. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नही थी।
9. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
10. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
11. स्टोर में कालातीत औषधि पायी गयी।
12. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
13. लैब के फ्रीज में कालातीत औषधियां पायी गयी।
14. प्रसव कक्ष में प्रवेश के समय शू कवर उपलब्ध नही था।
15. मैनुअल सक्शन मशीन कियाशील नही थी।
16. रेडियंट वार्मर अकियाशील थी।
17. आटो क्लेव एवं ब्यालर अकियाशील थे।
18. बिना स्टेलाइज किये हुये उपकरणों के द्वारा प्रसव कराया जा रहा था।
19. प्रसव कक्ष में सभी प्रोटोटाइप पोस्टर नही लगाये गये थे।
20. प्रसव कक्ष में कलर कोडेड बिंस की जगह बाल्टी का प्रयोग किया जा रहा था।
21. प्रसव कक्ष का मानकानुसार बनाये जाने की आवश्यकता है, इस हेतु जनपदीय मातृ स्वास्थ्य सलाहकार को नर्स मेण्टर एवं चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये इसे तत्काल मानकानुसार क्रियाशील कराये जाने की आवश्यकता है।
22. प्रसव कक्ष की डिजीटल क्लाक क्रियाशील नही थी।
23. कैलीसपैड उपलब्ध नही थे।
24. जे.एस.एस.के. डाइट में दिये जा रहे भोजन प्रोटोटाइप के अनुसार पूर्ण नही दिया जा रहा था।

<u>वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र– मठिया, ब्लाक खडडा</u>

1. ए.एन.एम. प्रेमा मिश्रा के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. ए.एन.एम. के पास माइक्रोप्लान नही था।
3. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
4. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
5. ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
6. हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रिकार्ड नही बनाया जा रहा था।
7. आशा के द्वारा लाभार्थियों को बुलाया जा रहा था।
8. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नही बनायी जा रही थी।
9. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नही की जा रही थी।
10. सत्र स्थल पर उपलब्ध औषधियों के उपयोग के विषय में ए0एन0एम0 का जानकारी अभाव था।
11. ए.एन.एम. को एन.सी.डी. स्क्रीनिंग एवं सी–बैक फार्म के विषय में कोई भी जानकारी नही थी।
12. ए.एन.एम. द्वारा बताया गया कि उसे एन.सी.डी. स्क्रीनिंग एवं सी–बैक फार्म के विषय में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नही हुआ है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – कुशीनगर

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
3. सभी स्टाफ के द्वारा कार्य को उचित रुप से सम्पादित किया जा रहा है।
4. इकाई पर प्रतिदिन लगभग 50 मरीजों को देखा जा रहा है।
5. स्टाफ नर्स को आई.यू.सी.डी. हेतु प्रशिक्षण प्राप्त है, परन्तु उपकरण के अभाव में उनके द्वारा आई.यू.सी.डी. से सम्बन्धित सेवाएं नही प्रदान की जा रही है।

एम्बुलेंस सर्विस –

1. सेवा प्रदाता द्वारा समुचित मानव संसाधन प्रतिवाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण ब्लाक खडडा में लगी 02 एम्बुलेंस में केवल 3 वाहन चालक के द्वारा सेवायें प्रदान की जा रही है।
2. वाहन की ए0सी0, हुटर इत्यादि कार्य नही कर रहे थे।
3. मानकानुसार औषधियों की उपलब्धता वाहन में नही थी।
4. वाहन में अतिरिक्त चक्का उपलब्ध नही था।
5. टीम द्वारा लॉग बुक पर उक्त दिनांक में अंकित लाभार्थी के फोन नम्बर पर बात की गयी तो ज्ञात हुआ लाभार्थी द्वारा एम्बुलेंस का लाभ एक सप्ताह पूर्व किया गया था जबकि लॉग बुक में भ्रमण दिनांक में अंकित किया गया था। टीम द्वारा लॉग बुक सही करने का सुझाव दिया गया।

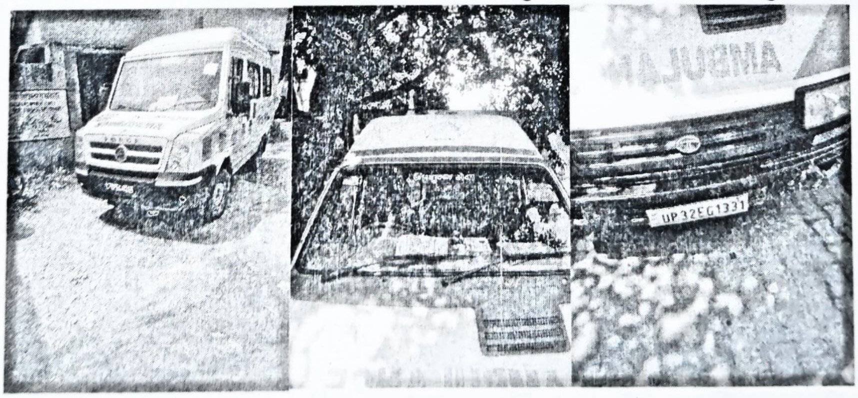

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।

जनपद कुशीनगर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या

दिनांक 22.05.2023 एवं 27.05.2023

अवगत कराना है कि 01.04.2012 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव अनिवार्य कर दिया गया है। आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद कुशीनगर नगर के जिला स्वास्थ्य समिति, जिला चिकित्सालय कुशीनगर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (खड्डा ,कसया एवं सुकरौली) के लेखा–भिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखांकन, लेखा अभिलेखों का रख–रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मिशन निदेशक के आदेश संख्या 320–2 दिनांक 13.04.2023 के निर्देश के क्रम में दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 27.05.2023 तक जनपद कुशीनगर का सहयोगात्मक

पर्यवेक्षण किया गया जिसमें जनपद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसकी वित्तीय आख्या निम्नवत है।

जिला स्वास्थ्य समिति (कुशीनगर) का लेखा अभिलेखों का बिंदुवार आख्या निम्नवत है:–

1. जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 889415147.00 लिमिट राज्य स्तर से निर्गत की गयी जिसके सापेक्ष रू0 873473730.00 धनराशि व्यय की गयी। जिसमें रू0 285590909.00 धनराशि अधीनस्थ इकाईयों द्वारा की गयी है तथा शेष धनराशि रू0 587882821.00 जिला मुख्यालय स्तर पर व्यय की गयी है।
2. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3. जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 हेतु अधीनस्थ इकाईयों को अवमुक्त की गयी धनराशि की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4. राज्य स्तर से निर्गत की गयी लिमिट पत्रालेख की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
5. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 की कटौती की गयी है किन्तु रिटर्न फाईलिंग के अभिलेख/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये गये।
6. जनपद द्वारा माह अप्रैल 2023 का मानदेय का भुगतान किया गया, जिसमें वेतन रजिस्टर (एक्सेल फाईल चिस्पा) रखा गया था। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य

R. B... Manager Fin... N.H.M. U.P.

चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। जिसमें मानदेय बनाने के पूर्व किसी प्रकार का अनुमोदन इत्यादि पत्रालेख उपलब्ध नहीं करायी गयी।

7. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 94 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से रू0 6,03,10,665.00 धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न है।
8. मैनपावर एजेन्सी अकृति कन्सट्रक्शन के माध्यम से रू0 3020850.00 धनराशि का भुगतान किया गया। जिसका अनुबन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
9. मासिक बैक समाधान विवरण की पत्रावली उपलब्ध नहीं करायी गयी।
10. 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल की सूचना के अनुसार रू0 43304847.00 धनराशि वेन्डर को भुगतान किया गया है जिसके सन्दर्भ में क्रय प्रक्रिया पत्रावली भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
11. डाईट का टेन्डर जनपद स्तर पर किया गया है जिसकी अवधि दिनांक 03.06.2021 से दिनांक 02.06.2022 तक के लिए थी। वर्ष 2022–23 की शेष अवधि के लिए पूर्व के वेन्डर को भुगतान किया गया है। विस्तारित अवधि का जिला स्वास्थ्य समिति से लिऐ गये अनुमोदन को भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर

1. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
3. मैनपावर एजेन्सी अकृति कन्सट्रक्शन के माध्यम से रू0 2916969.00 धनराशि का भुगतान किया गया। जिसका अनुबन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत रू0 498931.00 धनराशि का भुगतान किया गया, जिसमे से अधिकांश धनराशि माह मार्च में औषधि/उपकरण इत्यादि के क्रय के अन्तर्गत भुगतान किया गया।
5. बायोवेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत रू 10585935.00 धनराशि का भुगतान किया गया, जो कि स्वीकृत बजट से रू0 40258.00 अधिक है।
6. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 737550.00 रू0 का भुगतान किया गया, जो स्वीकृत बजट से 259862.00 रू0 अधिक है। भुगतान किये गये बिलों में लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं थी। तथा डाईट वितरण रजिस्टर भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।

(9)

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

7. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 का कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।
8. रोगी कल्याण समिति की बैठक रजिस्टर भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया था।
9. जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 22 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से रू0 4315068.00 धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न है।
10. जिला संयुक्त चिकित्सालय कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 तो काटा गया है, जिसका रिटर्न फाईलिंग के अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें गये।
11. डाईट के अन्तर्गत 737550.00 धनराशि का भुगतान किया गया है जिसका टेन्डर जनपद स्तर से हुआ है, जिसकी पत्रावली अधीनस्थ इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।
12. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा, कुशीनगर,

1. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
3. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत सी0एच0सी0 अन्टाईड के अन्तर्गत रू0 529494.00 तथा पी0एच0सी0 अन्टाईड में रू0 579807.00 कुल रू0 1109301.00 धनराशि का भुगतान किया गया, जिसमे अधिकांश भुगतान माह मार्च में कुछ विशेष मदों में ही किया गया है।
4. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत अधिकांश वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
5. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 390373.00 रू0 का भुगतान किया गया, भुगतान किये गये बिलों में लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं थी तथा डाईट वितरण रजिस्टर भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
6. डाईट एवं वाहन के अन्तर्गत भुगतान किया गया है जिसका टेन्डर जनपद स्तर से हुआ है, जिसकी पत्रावली अधीनस्थ इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 11 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से रू0 1169071.00 धनराशि से

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न है।

8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काटा गया है जिसे जमा नहीं किया गया है।
9. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
10. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
11. स्टॉक इश्यू रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
12. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माह वार, वर्ष वर संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।

4.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकरौली, कुशीनगर

1. मैनुअल कैशबुक वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2. पी0एफ0एम0एस0 इश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थे एवं टोटलिंग/बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
3. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत सी0एच0सी0 अन्टाईड के अन्तर्गत रू0 790658.00 तथा पी0एच0सी0 अन्टाईड में रू0 597375.00 कुल रू0 1387947.00 धनराशि का भुगतान किया गया, जिसमे अधिकांश भुगतान माह मार्च में तथा कुछ विशेष मदों के अन्तर्गत किया गया है।
4. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 228060.00 रू0 का भुगतान किया गया है। भुगतान किये गये बिलों में लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं थी। डाईट वितरण रजिस्टर भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. डाईट एवं वाहन के अन्तर्गत भुगतान किया गया है जिसका टेन्डर जनपद स्तर से हुआ है, जिसकी पत्रावली अधीनस्थ इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकरौली कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 09 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकरौली, कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काट कर बैंक में जमा किया गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
8. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
9. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।

K. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

10. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
11. स्टॉक इश्यू रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
12. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माहवार, वर्षवार संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।

5.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया, कुशीनगर

1. पी0एफ0एम0एस0 ईश्यू रजिस्टर में एफ0एम0आर0 कोड नहीं लिखे गये थें एवं टोटलिंग / बैलेंसिंग भी नहीं की गयी थी।
2. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत सी0एच0सी0 अन्टाईड के अन्तर्गत रू0 397904.00 तथा पी0एच0सी0 अन्टाईड में रू0 413767.00 कुल रू0 811671.00 धनराशि का भुगतान किया गया, जिसमे अधिकांश भुगतान माह मार्च में तथा कुछ विशेष मदों के अन्तर्गत व्यय किया गया है।
3. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 395730.00 रू0 का भुगतान किया गया तथा भुगतान किये गये बिलों में लाभार्थियों की सूची संलग्न नहीं थी। डाईट वितरण रजिस्टर भ्रमण के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया कुशीनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये एफ0एम0आर0 के अनुसार 09 मदों में फैम्स पोर्टल पर स्वीकृत बजट से रू0 904268.00 धनराशि से अधिक व्यय किया गया है, जिसका अभिलेखों में सुधार किया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न है।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया, कुशीनगर द्वारा टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 काट कर जमा किया गया है किन्तु रिटर्न फाईल नहीं की गयी है।
6. बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया गया था।
7. जनपद स्तर से प्राप्त लिमिट पत्रालेख पत्रावली एवं लिमिट प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
8. डाईट एवं वाहन के अन्तर्गत भुगतान किया गया है जिसका टेन्डर जनपद स्तर से हुआ है, जिसकी पत्रावली अधीनस्थ इकाई पर उपलब्ध नहीं थी।
9. स्टॉक इश्यू रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आशा प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत वाउचर्स ठीक ढंग से संरक्षित करके नहीं रखा गया था। जिसे माह वार, वर्ष वार संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। जिससे समय–समय पर आशा भुगतान का सत्यापन वाउचर के माध्यम से किया जा सके।
11. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वेन्डरों को 01 लाख रू0 से अधिक का भुगतान किया गया है जिसमे क्रय नियमावली का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.

उपरोक्त कमियों कमियों पर सुधार हेतु दिनांक 26.05.2023 प्रातः 10:00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के बैठक कक्ष में जनपद के समस्त ब्लाक लेखा प्रबन्धकों की बैठक आहूत की गयी। जिसमें जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय लेखा प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया गया। चर्चा में उपरोक्त कमियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा आपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फाइनेन्शियल मैन्युल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा मैनुअल का जनपद एवं अधिनस्थ इकाईयों द्वारा वित्तीय नियमों का पूर्णतः पालन किये जाने पर जोर दिया गया।

(6)

(R.B Chhetri)
Manager Finance
SPMU.N.H.M

R. B. Chhetri
Manager Finance
N.H.M. U.P.